सर्तकता आयोग में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की समीक्षा बैठक दिनांक.19–04–2018 का कार्यवृत्त

दिनांक 19–04–2019 को अपरान्ह् 03:00 बजे मुख्य सतर्कता अधिकारियों की बैठक माननीय अध्यक्ष, सतर्कता आयोग, उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न की गई। जिसमें निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित रहे–

1–श्री देवेन्द्र चौधरी	–	अध्यक्ष
2–श्री रमेश तिवारी	–	सदस्य
3–श्री हितेश चन्द्र अवस्थी निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान	–	सदस्य
4–श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव	–	सचिव
5–विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारीगण – (सूची संलग्न)		

मुख्य सतर्कता अधिकारियों की बैठक की कार्यवाही सभी पदाधिकारियों एवं मुख्य सतर्कता अधिकारियों के आगमन के पश्चात अभिवादन एवं स्वागत अभिभाषण के साथ प्रारम्भ की गई।

1– बैठक में उपस्थित सभी विभागों के प्रतिभागियों को शासनादेश संख्या– 724/39–4–2016–42(340)/86 दिनांक 17 मई, 2016 के मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं विभागीय सतर्कता को सुदृढ़ बनाने हेतु मुख्य सतर्कता अधिकारियों के कर्तव्यो तथा दायित्वों से अवगत कराया गया। उक्त शासनादेश के परिप्रेक्ष्य मे भ्रष्टाचार के प्रचार प्रसार को रोकने जनता को स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन देने के लिये सतर्कता विभाग एवं सतर्कता आयोग द्वारा जो सतर्कता संबंधी कार्य किये गये हैं एवं आगे भविष्य में जो कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं उन पर चर्चा करने हेतु इस बैठक का आयोजन किया गया। इस सम्बंध में भ्रष्टाचार निवारण के उद्देश्य से सतर्कता आयोग द्वारा पूर्व में दो बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। प्रथम बैठक में 11 विभागों एवं दूसरी बैठक में 14 विभागों को विचार विमर्श एवं दिशा निर्देश हेतु बुलाया गया था। आज की बैठक में 23 विभागों – चकबन्दी आयुक्त, श्रम आयुक्त, ग्राम्य विकास आयुक्त, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, गन्ना आयुक्त, खादी ग्रामोद्योग परिषद, सुन्नी सेन्ट्रल परिषद, गन्ना शोध परिषद, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य समाज कल्याण बोर्ड, अरबी, फारसी मदरसा बोर्ड, मनोरंजन कर, अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम, वक्फ विकास निगम, औद्योगिक विकास निगम, वित्त निगम, राज्य चर्म विकास निगम, लघु उद्योग निगम, बीज विकास निगम, भूमि सुधार निगम, राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम एवं राज्य कर्मचारी कल्याण निगम आदि से मुख्य सतर्कता अधिकारियों/सतर्कता अधिकारियों को शासनादेश संख्या– 724/39–4–2016–42(340)/86 दिनांक 17 मई, 2016 में दिये गये निर्देशों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बुलाया गया है। हर सप्ताह प्रत्येक बुधवार इसी तरह सतर्कता सम्बंधी

बैठक का आयोजन राज्य सतर्कता आयोग, जवाहर भवन में किया जाना प्रस्तावित किया गया। उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों के कियान्वयन हेतु विस्तार से चर्चा की गई।

2— भ्रष्टाचार निवारण एवं सतर्कता सम्बंधी कार्यों के त्वरित निस्तारण हेतु नवीनतम शासनादेश संख्या— 724/39—4—2016—42(340)/86 दिनांक 17 मई, 2016 तत्कालीन मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन द्वारा निर्गत किया गया है जिसमें बताया गया है कि भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं विभागीय सतर्कता को सुदृढ़ करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मुख्य सतर्कता अधिकारियों की होती है। उत्तर प्रदेश सरकार जनता को स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन देने के लिये प्रतिबद्ध है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 724/39—4—2016—42(340)/86 दिनांक 17 मई, 2016 द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारियों/सतर्कता अधिकारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए समस्त प्रशासकीय विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को उस विभाग का पदेन मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित किया गया है इसके अतिरिक्त समस्त विभागों/विभागाध्यक्षों /सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों को पदेन मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा मण्डल/जनपद स्तर पर आयुक्तों/जिलाधिकारियों को पदेन मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित किया गया है। शासनादेशो में सचिवालय स्तर पर विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा संयुक्त सचिव या सार्वजनिक उद्यमों/ निगमों के कार्यालयों में प्रबन्ध निदेशक अथवा समकक्ष सर्वोच्च अधिकारी द्वारा अपने ठीक अधीनस्थ कार्य करने वाले किसी उपयुक्त वरिष्ठ अधिकारी को सतर्कता अधिकारी नामित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। इसी शासनादेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों/सतर्कता अधिकारियों को निर्देश दिये गये एवं उनसे वांछित सहयोग की अपेक्षा की गई।

3— जनता को स्वच्छ एवं पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिये एवं विभागीय सतर्कता को सुदृढ़ करने हेतु समस्त प्रशासकीय विभागों को शासनादेश द्वारा अपने—अपने विभाग में मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित करने के निर्देश दिये गये थे। जिन विभागों में मुख्य सतर्कता अधिकारी/सतर्कता अधिकारी को नामित नही किया गया है उन्हें एक सप्ताह के अन्दर मुख्य सतर्कता अधिकारी/सतर्कता अधिकारी नामित कर उसकी सूचना सतर्कता विभाग एव प्रतिलिपि सचिव, सतर्कता आयोग को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसके लिये मुख्य सतर्कता अधिकारी/सतर्कता अधिकारियों को निर्धारित प्रारूप भी उपलब्ध कराये गये जिसके अन्तर्गत सम्बंधित विभाग अपने विभाग में नामित मुख्य सतर्कता अधिकारी के नाम, पदनाम, मोबाइल नं0, ई0—मेल आई0डी0, आवास एवं कार्यालय का पता आदि सभी सूचनायें/विवरण अपने विभागों के प्रमुख सचिव तथा सतर्कता आयोग के सचिव को उपलब्ध करायेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में विभगाध्यक्ष द्वारा पत्राचार किया जायेगा।

4— मुख्य सतर्कता अधिकारियों/सतर्कता अधिकारियों को उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। विभाग की प्रचलित प्रकिया, कार्य प्रणाली आदि की जानकारी एवं अध्ययन कर उन कारणों को पता करना जिससे भ्रष्टाचार की संभावनायें बढ़ती हों उनका निवारण करना जिससे कदाचार, विलम्ब व जनता का उत्पीड़न होता है। अपने विभाग के उन संवेदनशील बिन्दुओं पर नजर रखना जहां भ्रष्टाचार अथवा विलम्ब की सम्भावना हो। जांचों के संबंध में अभिलेख समय सीमा के अन्दर उपलब्ध कराना । कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन के प्रकरणों में विधिक पूर्व स्वीकृति निर्गत कराना आदि कर्तव्यों/दायित्वों पर विवेचना की गई एवं मुख्य सतर्कता अधिकारियों से अपने कर्तव्यों व शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की अपेक्षा की गई।

5— भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये उ0प्र0 सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। सभी विभागों से जानकारी प्राप्त की गई कि उनके विभाग में कितनी जांच कार्यवाही/प्रकरण लम्बित हैं तथा वे कितने वर्ष पुराने हैं। विभिन्न विभागों यथा— प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खाद्य निगम, मनोरंजन कर, गन्ना आयुक्त तथा श्रम विभाग आदि द्वारा अपने यहॉ लम्बित जांच कार्यवाही/प्रकरण की जानकारी दी गई। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि विभागों में अधिक समय तक जांच कार्यवाही लम्बित रहने का प्रकरण सतर्कता आयोग के संज्ञान में आने पर जांच कार्यवाही में विलम्ब के लिये जिम्मेदार अधिकारी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध मानी जायेगी। अतः सभी को सचेत करते हुए समय से जांच कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। सभी विभागों/विभागीय सतर्कता अधिकारियों को अपने विभागों में लम्बित जांच कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रारूप सं0—1, 1—क, 2, 3, 4, 5, 5क एवं 6 उपलब्ध कराये गये जिस पर प्रत्येक विभाग को दो सप्ताह में लम्बित विभागीय जांच कार्यवाही की सूचना पूर्ण विवरण के साथ भेजने के निर्देश दिये गये।

6— सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों/सतर्कता अधिकारियों को कार्यालय के प्रमुख सार्वजनिक स्थान पर4x4फुट का सूचना पट बनाने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर नामित मुख्य सतर्कता अधिकारी/सतर्कता अधिकारी का नाम, फोन नं0 व पता (कक्ष संख्या—)तथा सतर्कता आयोग के सचिव का फोन नं0 अंकित होगा ताकि जनता भ्रष्टाचार सम्बंधी किसी भी शिकायत हेतु नामित अधिकारी से सम्पर्क कर सके। इसी प्रकार का सूचना पट/बोर्ड सभी विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों/निगमों/उपक्रमों, कार्यालयों में प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर भी लगाया जाना प्रस्तावित किया गया जिसका सक्षम स्तर पर क्रियान्वयन कर उसकी सूचना सचिव सतर्कता आयोग को वास्तविक प्रिंट अथवा फोटो द्वारा प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

7— अध्यक्ष महोदय ने सभी को अवगत कराया कि सचिव, सतर्कता आयोग द्वारा पोर्टल लॉच करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है शीघ्र ही सतर्कता आयोग का पोर्टल लॉच हो जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिये गये :—

(i) जिन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/ विभागाध्यक्षों/आयुक्तों को आज बैठक में बुलाया गया है उनके सम्बंधित विभागों के प्रशासकीय विभागों को सचिव/प्रमुख सचिव स्तर पर भी पत्र भेजा जाये एवं उन्हें भी अगली बैठक में सम्मिलित किया जाये जिससे शासनादेश में दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रशासकीय विभागों के मार्ग दर्शन में सुनिश्चित किया जा सके।

(ii) सभी विभागों सें आये प्रतिभागियों को अवगत कराया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक प्रतिवेदन सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता पखवारा मनाये जाने के संबंध में प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है। अतः इसके लिये सभी विभाग शासनादेश सं0 724/39—4—2016—42(340)/86 दिनांक 17 मई, 2016 के परिप्रेक्ष्य में दिये गये निर्देशों/प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने विभागों में सतर्कता अधिकारी/सतर्कता अधिकारी नामित करके उसकी सूचना एक सप्ताह में सतर्कता विभाग एवं सतर्कता आयोग को उपलब्ध करायें। इसके अतिरिक्त अपने विभागों में लम्बित जांच कार्यवाही/प्रकरण की सूचना निर्धारित प्रारूप पर सतर्कता आयोग को दो सप्ताह में भेजना सुनिश्चित करें।

(iii) भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनता का स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है इसी उद्देश्य की पूर्ति एवं विभागीय सतर्कता को सुदृढ़ बनाने हेतु सतर्कता विभाग/सतर्कता आयोग कृतसंकल्प है। सतर्कता संबंधी कार्यों के त्वरित निस्तारण में मुख्य सतर्कता

अधिकारियों एवं सतर्कता अधिकारियों की भूमिका एवं जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों /सतर्कता अधिकारियों को सतर्कता सम्बंधी कार्यो के क्रियान्वयन हेतु उक्त शासनादेश का अनुपालन करते हुए अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक के अन्त में सभी अधिकारीगणों को धन्यवाद प्रस्ताव एवं आभार व्यक्त करने के साथ ही अध्यक्ष महोदय ने बैठक के समापन की घोषणा की।

23/04/18

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
सचिव

बैठक दिनांक 19–04–2018 में उपस्थित अधिकारीगणों की सूचीः–

1. श्री डॉ0 अखलाक हुसैन, मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशा0)
   उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. श्री आज्ञनेय कुमार सिंह, एडिशनल कमिश्नर,
   वाणिज्य कर, लखनऊ।
3. श्री डॉ0 सत्येन्द्र कुमार सिंह,
   उ0प्र0 भूमि सुधार निगम, लखनऊ।
4. श्री डॉ0 अनिल कुमार सिंह,
   उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद, शाहजहापुर।
5. श्री एच0आर0 सिंह, सी0टी0ओ0,
   खादी–ग्रामोद्योग, लखनऊ।
6. श्री के0 एन0 उपाध्याय,
   गन्ना एवं चीनी आयुक्त कार्यालय।
7. श्री भवेश रंजन, संयुक्त सचिव,
   अल्पसंख्यक कल्याण निगम, लखनऊ।
8. श्री शेषनाथ पाण्डेय,
   उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एंव विकास निगम, लखनऊ।
9. श्री साजिद शमिम, ए0 जी0 एस0,
   उ0प्र0 वक्फ विकास निगम लि0, लखनऊ।
10. श्री डी0के0 मिश्र, अधिष्ठान प्रभारी,
    उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम, लखनऊ।
11. श्री शोबत अली, ए0सी01,
    उ0प्र0 वक्फ विकास निगम लि0, लखनऊ।
12. श्री आर0 के0 दूबे,
    चकबन्दी आयुक्त, लखनऊ।
13. श्री एस0 एस0 यादव,
    चकबन्दी आयुक्त, लखनऊ।
14. श्री ऋषभ कुमार अग्रवाल, वित एवं लेखाधिकारी,
    उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, लखनऊ।
15. श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह, अपर निदेशक, मण्डी परिषद,
    राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।
16. श्री अशोक कुमार सिंह, एस0ओ,
    राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।
17. श्री अजय जौहरी, वित नियंत्रक,
    उ0प्र0 राज्य खाद्य कार्पोरेशन, लखनऊ।
18. श्री डी0 के सिंह, उपश्रमायुक्त,
    श्रम विभाग, श्रमायुक्त संगठन, कानपुर।

19. श्री दुलीचन्द, सहायक आयुक्त उद्योग,
उ0प्र0 राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लि0, आगरा।
20. श्री आले अतीक, सहायक सचिव,
उ0प्र0 सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ।
21. श्री मोबीन खान लॉ आफिसर,
उ0प्र0 सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ।
22. श्री आर0 रस्तोगी, सहायक आयुक्त,
मनोरंजन कर, लखनऊ।
23. श्री योगेश कुमार, सी0एस0पी0ओ0,
बीज विकास निगम, उ0प्र0, लखनऊ।
24. श्री जे0पी0 सगर, प्रशासक,
समाज कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
25. श्री एम0के0 लोहानी, सहायक प्रबन्धक,
उ0प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर।